इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 15/09/2017 को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण/नगर निगम/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरूद्ध चलाये जा रहे संयुक्त अभियान में फाफामऊ लखनऊ मुख्य मार्ग से बाजार मार्ग से होकर फाफामऊ चौराहा, प्रतापगढ़ रोड एवं बनारस रोड पर नेहा मोड़ तक सड़क की दोनो पटरियों से भटठी,चाय नाश्ते की 30 दुकाने, 06 बांस–बल्ली के टट्टर, 10 गुमटी, 20 फल के ठेले, 10 टीन सेड, 10 अस्थाई दुकाने फुटपाथ से हटावाया गया।

उक्त कार्यवाही के दौरान एडीए से जोनल अधिकारी श्री सत् शुक्ला, नगम निगम से जोनल अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार, श्री अभिषेक पाण्डेय एवं विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्ता श्री अनिल कुमार सहित ए.डी.ए. प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल मौजूद रहे।

इसी क्रम में अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध एडीए द्वारा की गयी अन्य कार्यवाही निम्नवत है–

जोन संख्या–01 जोनल अधिकारी श्री सुशील कुमार चौबे के नेतृत्व में 02 चालान, 01 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन संख्या–02 में जोनल अधिकारी श्री जे0आर0मौर्या के नेतृत्व में 03 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन संख्या–03 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व मे 03 चालान, की कार्यवाही की गयी।

जोन संख्या–05 में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के नेतृत्व मे 02 चालान, की कार्यवाही की गयी।

इस प्रकार कुल 07 चालान, 03 नोटिस निर्गत की गयी।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/क्षेत्रीय भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

15.09.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क